हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना 2023/593

उनवानी मुकेश कुमार बनाम माडूराम आदि मु.सं. 268/2023

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

25 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी सं. 91 की ओर से श्री रामसिंह गुर्जर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी रफीक मौहम्मद कुरेशी द्वारा पूर्व में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 02.05.2025 को पेश हो।

25 वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वाद वादिगण खारिज किया जाता हैं। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:01:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना (सीकर)

ठासीन अधिकारी :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस

ꟷदमा न. 268/2023

1. मुकेश कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी गुमानसिंह तहसील नीमकाथाना जिला नीमकाथाना राज.

—वादी

बनाम

1. माडूराम पुत्र बुद्वराम वगैरह

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

ꟷस्थित प्रार्थी की ओर से:– श्री रामसिंह गुर्जर एडवोकेट

अप्रार्थी की ओर से:– श्री बनवारी लाल जांगिड़ एडवोकेट

निर्णय

दिनांक:– 02.05.2025

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 ꟷपीसी पेश किया गया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार हैं कि ꟷी द्वारा उक्त वाद राजस्व ग्राम मानपुरा प[illegible] खसरा नं0 38, 39 व 44 ता 48 के विभाजन एवं स्थाई निषेध[illegible] सहायता प्रस्तुत किया हैं। उक्त भूमियां वर्तमान में मौके पर [illegible] नही हैं इस तथ्य की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक [illegible].09.2022 से ꟷी है। उक्त रिपोर्ट में भूमि की उपयोगिता आवासीय प्रयोजनार्थ होना ꟷणित मानते हुए तहसीलदार नीमकाथाना ने माननीय न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:01:44 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
अधिकारी
(सीकर)

एक वाद उनवानी तहसीलदार नीमकाथाना बनाम अणचीदेवी आदि प्रस्तुत कर सहायता चाही हैं कि उक्त भूमियां कृषि भूमि नही रही हैं एवं आवासीय उपयोग की होने के कारण कब्जा राज ली जावें। अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त भूमियों का उपयोग आवासीय होने के कारण माननीय न्यायालय को वाद सुनवाई की अधिकारिता नही हैं। उक्त भूमियों को आवासीय प्रयोजनार्थ खातेदारान द्वारा काफी समय पूर्व विक्रय कर विक्रय लेख एवं इकरारनामें क्रेताओं के हक में तहरीर एवं पंजिकृत हुई हैं जिनमें भी भूमि की उपयोगिता आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। वकील प्रार्थी की बहस के उत्तर में वकील अप्रार्थी (वादी) ने प्रार्थी के अभिकथनो को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम मानपुरा 30 खादरा में स्थित होना एवं उनके विभाजन की सहायता चाहने बाबत वर्णित तथ्य स्वीकार हैं। पटवारी हल्का की कथित रिपोर्ट दिनांक 09.2022 की मद हाजा में दर्ज की गई हैं। वह रिपोर्ट क्योंकि पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई हैं किसके आदेश से तैयार की गई। जबकि सुत वाद अभी तक पक्षकारान की तामील में ही चल रहा हैं। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा मद हाजा में वर्णित वाद प्रस्तुत किये जाने वादी को कोई जानकारी नही है। कथित वाद से वाद हाजा का ो किसी प्रकार प्रभावित नही हैं। जबकि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर्ता की से अभी तक जवाब दावा भी प्रस्तुत नही किया गया हैं एवं जब जवाब दावा प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में दर्ज आपत्तियों का अंकन किया जाता तब तक प्रार्थना पत्र किसी प्रकार चलने योग्य नही हैं। में वर्णित भूमियों का अभिलेख राज्य सरकार के अधिनस्थ कारियों द्वारा संधारित किया जाता हैं ... आज भी यों की उपयोगिता कृषि ही दर्ज हैं एवं कृषि कार्य ... वादी अपने हिस्से की भूमियों में किया जा रहा है। ... प्रार्थना मय खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:01:44 IST
Reason: SelfAttested

ली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, पेशशुदा दस्तावेजात, ना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं जवाब प्रार्थना पत्र

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
(सीकर)

तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का अवलोकन किया गया तथा बहस ुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रावधानानुसार "Order 7 Rule 11 of the Civil Procedure Code (CPC) powers the court to reject a plaint (the document initiating a civil suit) if it s to meet certain fundamental legal requirements. This provision serves as latekeeper, preventing frivolous or unsustainable lawsuits from wasting cial time and resources. The court can reject a plaint if it lacks a cause of on, is undervalued, not sufficiently stamped, barred by law, not filed in licate, or if the plaintiff fails to comply with other procedural rules"

ह वादग्रस्त आराजी के संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांकित 28. 2022 के आधार पर भूमि की उपयोगिता आवासीय प्रयोजनार्थ होना हुए तहसीलदार नीमकाथाना ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान तकारी अधिनियम बाबत सरकारी भूमि घोषित किये जाने एवं स्थाई ाज्ञा पेश किया हैं। उक्त तथ्य को वकुलाय उभयपक्ष ने स्वीकार किया अतः वादग्रस्त आराजी की वर्तमान में उपयोगिता आवासीय प्रयोजनार्थ पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी न्यायहित में ार किया जाकर वाद वादिगण खारिज किया जाता हैं। पत्रावली ल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तक़मील दाखिल दफ्तर

निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:01:44 IST
Reason: SelfAttested